

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -187/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/000353

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

1. गोपाल आत्मज प्रताप
2. छोटू आत्मज प्रताप
3. बिरधीलाल आत्मज प्रताप जाति भील निवासीकरण रघुनाथपुरा तह0
रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

—अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत।

उपस्थित—

1. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:— 13 /05/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थीगण को ग्राम रूपपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 3 रकबा 0.42 हे0, ख0नं0 6 रकबा 0.20 हे0 भूमि दिनांक 22.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री हरिसिंह शक्तावत का वकालतनामा पेश हुआ। किन्तु अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किया और ना ही पेशी दिनांक 8.8.2023 से उपस्थित हो रहे हैं। अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी निरन्त अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण ग्राम रूपपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 3 रकबा 0.42 हे0, ख0नं0 6 रकबा 0.20 हे0 भूमि दिनांक 22.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से जाहिर होता है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. हमने परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थीगण को ग्राम रूपपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 3 रकबा 0.42 हे0, ख0नं0 6 रकबा 0.20 हे0 भूमि दिनांक 22.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी दिनांक 8.8.2023 से निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं तथा अप्रार्थी द्वारा जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया है । इससे यह जाहिर होता है कि आवंटी द्वारा उनको आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते हैं ।
5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 3 रकबा 0.42 हे0, ख0नं0 6 रकबा 0.20 हे0 भूमि दिनांक 22.06.2002 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेंवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 13.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा